भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4034
उत्तर देने की तारीख – 17/03/2026

दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं

4034. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री माधवनेनी रघुनंनद राव:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित व्यक्तियों को विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवाओं के विस्तार या उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अन्य प्रमुख श्रेणियों की नि:शक्तताओं के लिए समर्पित राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से उक्त प्रकार की विशेष सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में उक्त राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्थापित राष्ट्रीय संस्थान 'दृष्टि और श्रवण दिव्यांगजनों' को विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं; ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, ब्रेल साक्षरता, सहायक उपकरण सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये सेवाएं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून; अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई और राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सरकार ने सेवाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रीजनल चैप्टर्स और समेकित क्षेत्रीय केंद्र (CRC) स्थापित करना, नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, आधुनिक सहायक तकनीक अपनाना, शिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण और शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का विस्तार करना शामिल है। इन पहलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना, सुगम्य डिजिटल शिक्षण संसाधनों का विकास, एआई-आधारित (AI) सहायक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, सहायक प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, और समावेशी शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए आईसीटी-आधारित सुगम्य सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

पिछले दस (10) वर्षों के दौरान दो (2) नए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर नौ (09) हो गई है। समेकित क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या, जो राष्ट्रीय संस्थानों की एक विस्तारित शाखा के रूप में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए शिक्षा और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं, पिछले दस (10) वर्षों के दौरान आठ (8) से बढ़ाकर तीस (30) कर दी गई है।

(ग) और (घ): विभाग के अंतर्गत अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों की दिव्यांगताओं के लिए विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय संस्थान और उनके समेकित क्षेत्रीय केंद्र, मिलकर सभी इक्कीस (21) अधिसूचित दिव्यांगताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं:

I. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID), सिकंदराबाद:बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना, जिसमें विशेष शिक्षा, शीघ्र हस्तक्षेप, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास शामिल है।
II. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली: भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को विकसित, प्रचारित और मानकीकृत करना।
III. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (NILD), कोलकाता:लोकोमोटर दिव्यांगता से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना, जिसमें ऑर्थोपेडिक पुनर्वास, फिजियोथेरेपी, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स प्रशिक्षण शामिल है।
IV. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR), सीहोर: बहु-विषयक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना।

V. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (SVNIRTAR), कटक: लोकोमोटर दिव्यांगता और रक्त विकारों के क्षेत्र में पुनर्वास सेवाएँ, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना।

VI. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (PDUNIPPD), नई दिल्ली: शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, थेरेपी, प्रशिक्षण और सहायक प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रदान करना।

ये राष्ट्रीय संस्थान विशेष शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सीय हस्तक्षेप, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम, सहायक उपकरणों का उत्पादन और वितरण, और अपने क्षेत्रों में पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। चालू वित्त वर्ष (अब तक) में विभाग के तहत सभी राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कुल 12,65,764 लाभार्थियों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गई हैं। संचालित पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले और पुनर्वास सेवाओं का संस्थान-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

अनुबंध

''दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं'' के संबंध में श्री योगेन्द्र चांदोलिया, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, श्री विनोद लखमशी चावड़ा, श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, श्री विजय कुमार दूबे, श्री माधवनेनी रघुनंनद राव, श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा और डॉ. संजय जायसवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4034 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वर्ष 2025-26 (की स्थिति के अनुसार) के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश का संस्थान-वार विवरण और उनके द्वारा प्रदान की गई पुनर्वास सेवाएँ:

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थानों के नाम	छात्र प्रवेश की संख्या	प्रदत्त पुनर्वास सेवाएँ
1.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD), देहरादून	776	110777
2.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (AYJNISHD), मुंबई	763	116698
3.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID), सिकंदराबाद	1076	227910
4.	राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPMD), चेन्नई	301	235329
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (PDUNIPPD), नई दिल्ली	258	79375
6.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (SVNIRTAR) कटक	391	443385
7.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (NILD), कोलकाता	191	45891
8.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली	146	*
9.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR), सीहोर	187	6399
	कुल	4089	1265764

* आईएसएलटीआरसी (ISLTRC) पुनर्वास सेवाएँ प्रदान नहीं करता है।
